



## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

(Email : dlsa32sikar@gmail.com, Ph/fax- 01572-294048)

—: संशोधित कार्यालय आदेश:—

क्रमांक:- 5205

दिनांक:- 9-12-2020

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में दिनांक 12.12.2020 को द्वितीय शनिवार को आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 5109 दिनांक 05.12.2020 के क्रम में आंशिक संशोधन कर निम्न बेंचों का गठन किया जाता है—

बैंच संख्या	अध्यक्ष	सदस्य	संबंधित प्रकरण
1.	श्री तिरुपति कुमार गुप्ता (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- पारिवारिक न्यायालय, सीकर	श्री कमलेश इन्दोरिया, अधिवक्ता	पारिवारिक न्यायालय, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
2	श्री सुनिल कुमार विश्‍नोई (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय ए.डी.जे. क्रम-1, सीकर (Pri-litigatin & pending Cases bench)	श्री राहुल पारीक, अधिवक्ता	न्यायालय एडीजे-1, सीकर एवं बैंक ऑफ इण्डिया सीकर, आईसीआईसीआई बैंक पलसाना शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा पिपराती एवं सालासर रोड, सीकर एवं बी.एस.एन. एल. सीकर, आदि से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरण
3	श्री सुरेन्द्र पुरोहित (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय ए.डी.जे क्रम-4, सीकर	श्री पुरुषोत्तम शर्मा अधिवक्ता	न्यायालय एडीजे-2 एवं एडीजे-4, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
4	श्री यशवंत भारद्वाज (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय ए.डी.जे. क्रम-3, सीकर	श्री नरेन्द्र कुमार फगेडिया, अधिवक्ता	न्यायालय डीजे, सीकर, न्यायालय एमएसीटी एवं न्यायालय एडीजे-3 द्वारा संदर्भित प्रकरण
5	श्री सुमरथ लाल मीणा (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय सी.जे.एम., सीकर	श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता	न्यायालय सीजेएम, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
6	श्रीमती कीर्ति सिंहमार (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय ए.सी.जे. एम., सीकर	श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता	न्यायालय एसीजेएम, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
7	श्री मुकुल गहलोत (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय जे.एम., सीकर	श्री अंगद तिवाड़ी, अधिवक्ता	न्यायालय जेएम सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
8	श्री प्रशांत पुनियां, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय जे.एम.-1, सीकर	श्री बृजेन्द्र सिंह रुलानियां, अधिवक्ता	न्यायालय जेएम-1, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
9	श्रीमती आभा गहलोत, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय जे.एम.-2, सीकर	श्री केशर देव वीराण, अधिवक्ता	न्यायालय जेएम-2, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
10	श्री साजिद हुसैन छीपा (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- ग्राम न्यायालय, कुडली	श्री गंगाधर सेनी, अधिवक्ता	ग्राम न्यायालय कुडली द्वारा संदर्भित प्रकरण

9-12-20

## आवश्यक निर्देश -

1. उक्त बैच उक्तानुसार न्यायालयों/विवादों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई उक्तानुसार निर्धारित स्थान पर करेगी।
2. रालसा के निर्देशानुसार बैच में मुख्य रूप से एक स्टेनो, एक रीडर, एक लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकती हैं। किन्तु यदि बैच अध्यक्ष अधिक आवश्यकता महसूस करे तो वह किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी इस कार्यालय को अनुमोदन पश्चात् लगाई जा सकती हैं।
3. राष्ट्रीय लोक अदालत में ड्यूटी देने वाले अध्यक्ष, सदस्य एवं कर्मचारियों (संबंधित अधिवक्ता) के एक दिन के मानदेय की सूचना दिनांक 10.12.2020 तक इस कार्यालय को भिजवायें ताकि समय पर मानदेय का भुगतान किया जा सकें।
4. संबंधित बैच अध्यक्ष निर्धारित प्रारूप में निस्तारित प्रकरणों की सूचना दिनांक 12.12.2020 को समय 01:00 पीएम एवं पूरे दिन निस्तारित हुए प्रकरणों की अंतिम सूचना समय 03:30 पीएम तक (यदि संभव हो तो) आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाये।
5. संबंधित बैच अध्यक्ष उनकी बैच में रखे गये न्यायालयों की पत्रावलियां, सम्बंधित न्यायालयों से दिनांक 11.12.2020 को वादसूची के मुताबिक सूचीबद्ध तरीके से प्राप्त करवाये एवं लोक अदालत के समापन के पश्चात् पत्रावलियां सम्बंधित न्यायालय को सूचीबद्ध तरीके से सम्भलायें।
6. बैच अध्यक्ष, वाद सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को दिनांक 11.12.2020 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. प्री-लिटिगेशन बैचों के पीठासीन अधिकारी सफल एवं असफल पत्रावलियों पर ऑर्डरशीट लोक अदालत के दिन ही लिखवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे तथा पत्रावलियां भी लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को सुपुर्द करवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
8. राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी प्रकरण राजीनामे के माध्यम से निस्तारित होंगे उन्हें उसी दिन NJDG/CIS System पर निस्तारित की श्रेणी में दर्ज किया जावे तथा जो प्रकरण कॉजलिस्ट में शेष रहें उनको भी पत्रावली में दी गई आगामी तारीख पर दर्ज करवा दिया जाए ताकि कोई भी प्रकरण अन-डेटेड न रहें।

*Signature*  
9.12.20

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सीकर

क्रमांक 5206-11

दिनांक 9.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 संबंधित बैच अध्यक्ष श्री/श्रीमति.....
- 2 संबंधित बैच सदस्य श्री/श्रीमति .....
- 3 समस्त मुख्यालय स्थित न्यायालय.....
- 4 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीकर
- 5 कोर्ट मैनेजर/सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 6 रक्षित पत्रावली

*Signature*  
9.12.20

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण